महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-7 / 2015 / 1512 / 31-2015-65 / 2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त नोडल अधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार)।
2-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
3-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊ दिनांक 14 मई, 2015**

विषय- शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों द्वारा जनपदीय निरीक्षण आख्या के प्रारूप में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नोडल अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक दो माह में एक बार (द्विमासिक) भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि नोडल अधिकारियों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण आख्या के प्रारूप के खण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ में शासन की अद्यावधिक प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों के अनुसार संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार निरीक्षण आख्या के प्रारूप में संशोधन कर दिया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह मई-जून 2015 (द्विमाह) एवं उसके बाद संशोधित प्रारूप के अनुसार नोडल अधिकारियों द्वारा समीक्षा एवं निरीक्षण कार्य सम्पन्न करके निरीक्षण आख्या संलग्न प्रारूप पर निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित वेबसाइट **http:// fieldinspections.up.nic.in** पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2015/1512(1)/31-2015-65/2013टी0सी0-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2015/1512/31-2015-65/2013 का संलग्नक

शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के उच्च स्तरीय अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या हेतु संशोधित प्रारूप

नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक दो माह में एक बार (द्विमासिक) भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण, कतिपय कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण एवं एक ग्राम का भ्रमण भी सम्पादित करेंगे।

भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि जनपद में समीक्षा, सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु कम से कम दो कार्य दिवस वास्तविक रूप से उपलब्ध हो सकें। नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या पांच खण्डों में निम्नानुसार प्रेषित की जायेगी। खण्ड तृतीय एवं खण्ड पंचम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रथम खण्ड
विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

भ्रमण कार्यक्रम में प्रथम कार्य दिवस के पूर्वान्ह में जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं की एक समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।

1. रू0 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन सड़क कार्य।
2. रू0 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन अन्य कार्य।
3. कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह ।
4. डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना ।
5. सड़क सुरक्षा नीति का परिवहन, गृह, लोक निर्माण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।

6-कृषि एवं उद्यान-

6.1-जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना।

6.2-कृषि इन्पुट (खाद, बीज एवं रसायन) की उपलब्धता एवं वितरण।

6.3-सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना ।

6.4-पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।

6.5-एकीकृत बागवानी विकास मिशन।

7-सिंचाई-

7.1-राजकीय नलकूपों का संचालन।

7.2-नहरों की सिल्ट सफाई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8-ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज-

8.1-लोहिया ग्रामीण आवास योजना।

8.2-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन।

8.3-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ।

8.4-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेय जल योजना।

8.5-स्टेट क्लीन एण्ड ग्रीन मिशन/स्वच्छ भारत मिशन।

9-समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण-

9.1-समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण।

9.2-समस्त प्रकार की पेंशन का वितरण।

9.3-समाजवादी पेंशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

9.4-मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान।

9.5-कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी

10-श्रम-

10.1-सेस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाना तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाना।

11-मानव संसाधन विकास-

11.1-पुनर्गठित कन्या विद्या धन योजना।

11.2-सर्व शिक्षा अभियान।

11.3-कौशल विकास मिशन।

12-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व पोषण मिशन-

12.1-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन विशेषकर टीकाकरण तथा संस्थागत प्रसव की स्थिति।

12.2-राज्य पोषण मिशन।

13-ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा-

13.1-विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन।

13.2-राज्य जैव ऊर्जा मिशन से सम्बन्धित परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।

14-लोक निर्माण-

14.1-प्रदेश में कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार शत प्रतिशत मरम्मत किया जाना।

15-वन-

15.1- 50 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि पर वृक्षारोपण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16-<u>खाद्य एवं रसद-</u>

16.1-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना।

17-<u>नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन-</u>

17.1-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।

18-<u>नियोजन-</u>

18.1-आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।

19-<u>अन्य महत्वपूर्ण विषय-</u>

द्वितीय खण्ड

परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण

बैठक समाप्ति के पश्चात् नोडल अधिकारी द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रूप से बड़ी लागत की दो परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। उचित होगा कि समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ही बड़ी लागत की दो ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित कर लिया जाये, जिनका सत्यापन बैठक के पश्चात् किया जा सके। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता की समीक्षा भी अवश्य की जाय।

प्रारुप

(धनराशि-लाख रू0 में)

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	कार्यदायी विभाग	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	निरीक्षण की तिथि तक व्यय	व्यय का प्रतिशत अवमुक्त से (6/5)	व्यय का प्रतिशत स्वीकृत लागत से (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8

निरीक्षण तिथि को भौतिक प्रगति का प्रतिशत	पायी गयी कमिया*	त्रुटि/कमी हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम/विभाग	प्रस्तावित कार्यवाही	सुझाव (यदि कोई हो)
9	10	11	12	13

*सम्बन्धित स्थलीय फोटो संलग्न करें।

निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभियन्ताओं की टीम लेकर जायेंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियन्ता शामिल नहीं किये जायेंगे जिस विभाग के कार्य का निरीक्षण किया जाना हो। परन्तु उस विभाग के उत्तरादायी अधिकारी भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तृतीय खण्ड

कार्यालयों का निरीक्षण

भ्रमण कार्यक्रम के प्रथम दिवस के अपरान्ह में तथा द्वितीय कार्य दिवस के पूर्वान्ह में नोडल अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो के अतिरिक्त निम्नांकित तीनों श्रेणियों में से एक-एक प्रतिष्ठान का विस्तृत निरीक्षण भी किया जाएगा तथा उसकी निरीक्षण टिप्पणी भी अंकित की जायेगी।

श्रेणी-1:-कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/विकास खण्ड।

श्रेणी-2:-जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

श्रेणी-3:-अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय/स्थानीय निकाय।

चतुर्थ खण्ड

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम का भ्रमण/निरीक्षण

भ्रमण के दूसरे अपरान्ह में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में चयनित किसी एक ग्राम का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा इस ग्राम के सन्दर्भ में इस योजना में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों की प्रगति पुस्तिका तैयार कराकर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यो एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त बैठक हेतु नियमानुसार ससमय सूचना जारी की जाएगी। ग्राम में समीक्षा/निरीक्षण किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैः-

1-राजस्व

1.1-कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन।

1.2-आवास हेतु भूमि का आवंटन।

1.3-मछली पालन हेतु तालाबों का आवंटन/तालाब सुधार कार्यक्रम।

1.4-कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन।

2-समाज कल्याण

2.1-वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण।

2.2-पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण।

2.3-विकलांग पेंशन वितरण।

2.4-समाजवादी पेंशन योजना।

2.5-अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति वितरण।

2.6-अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण।

2.7-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण।

2.8-अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-<u>कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र-</u>

3.1-निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम।

3.2-एकीकृत बागवानी विकास मिशन।

3.3-पशुओं का टीकाकरण।

3.4-पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम।

3.5-बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम।

3.6-किसान क्रेडिट कार्ड वितरण।

3.7-मृदा परीक्षण कार्यक्रम।

4-<u>ग्राम्य विकास</u>

4.1-आवास हीनों को आवास उपलब्ध कराना।

4.2-स्वच्छ पेय जल आपूर्ति।

4.3-तालाबों का जीर्णोद्धार ।

4.4-महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।

4.5-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

5-<u>पंचायती राज</u>

5.1-आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण।

5.2-स्वच्छ शौचालय निर्माण।

6-<u>मानव संसाधन विकास</u>

6.1-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण।

6.2-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना/निर्माण।

6.3-आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना/निर्माण।

6.4-कौशल विकास कार्यक्रम।

6.5-राज्य पोषण मिशन।

7-<u>सम्पर्क मार्ग का निर्माण</u>

7.1-सम्पर्क मार्ग निर्माण।

8-<u>ग्रामीण विद्युतीकरण एवं वैकल्पिक ऊर्जा</u>

8.1-ग्रामीण विद्युतीकरण।

8.2-वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था।

9- <u>विशिष्ट परियोजनाएं एवं अन्य बिन्दु-</u>

9.1-विशिष्ट परियोजनाएं।

9.2-गांव में विद्युत उपलब्धता तथा कृषि इन्पुट (खाद, बीज एवं रसायन) की उपलब्धता आदि।

9.3-अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पंचम खण्ड

(विशेष उल्लेखनीय तथ्य)

इस खण्ड में (विशेष उल्लेखनीय तथ्य) शामिल किए जाएंगे जिनमें कमियों हेतु दोषी पाए गए अधिकारियों एवं कर्मियों, यदि कोई हो, का सुस्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। नोडल अधिकारीगण अपने अति महत्वपूर्ण/विशिष्ट सुझावों का उल्लेख भी इस खण्ड के अन्तर्गत करेगें।

विजय कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।